मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 05.01.2023

₹ 25-25 हजार का ईनामिया गैंगेस्टर एक्ट का वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन-उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 05.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक अहरौरा-कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-194/2022 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित ₹ 25-25 हजार के ईनामियां 02 अभियुक्त 1. विनय कुमार शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा निवासी रजवाड़ा थाना सुखपुरा जनपद बलिया व 2. संजय साहनी पुत्र बैजनाथ साहनी निवासी कोनहवा थाना दरियापुर जनपद छपरा बिहार को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. विनय कुमार शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा निवासी रजवाड़ा थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र करीब-27 वर्ष।
2. संजय साहनी पुत्र बैजनाथ साहनी निवासी कोनहवा थाना दरियापुर जनपद छपरा बिहार, उम्र करीब-35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0-07/2022 धारा 8/20 NDPS Act. थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-194/2022 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम थाना अहरौरा मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा- कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस टीम।